जनपद बाराबंकी

दिनांक- 08.08.2022

साइबर सेल बाराबंकी व थाना कोठी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बिजली बिल के शून्य कराने के नाम पर किये जा रहे फर्जीवाड़ा का किया गया भंडाफोड़, 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से मोबाइल, मोटरसाइकिल व कार बरामद-

दिनांक-07.08.2022 को वादी लवलेश कुमार वर्मा पुत्र अवधराम वर्मा निवासी बड़ा लालपुर थाना कोठी जनपद बाराबंकी द्वारा थाना कोठी पर अब्दुल हसन निवासी हमीदापुर थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ व उनके साथियों द्वारा बिजली का बिल कम करने के नाम पर ठगी करने व धमकी देने के सम्बन्ध में सूचना दी गई । उक्त सूचना के आधार पर थाना कोठी पर मु0अ0सं0-408/2022 धारा 147/406/506 भादवि0 व 66C सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बनाम अब्दलु हसन आदि 07 नफर पंजीकृत किया गया।

घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश पर थाना कोठी पुलिस व साइबर सेल टीम द्वारा डिजिटल डेटा एनॉलसिस एवं मैनुअल इंटेलीजेंस के आधार पर आज दिनांक 08.08.2022 को घटना से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों 1. अब्दुल हसन उर्फ मुन्ना पुत्र जौहर निवासी हमिरापुर थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ, 2. पंकज उर्फ गाजी उर्फ राकी पुत्र स्व0 अफसर हुसैन निवासी मधेयगंज खदरा थाना हसनगंज जनपद लखनऊ, 3. गुफरान उर्फ जुल्फिकार पुत्र शाहिद अली निवासी सिकरोरी थाना काकोरी जनपद लखनऊ, 4. रिंकू पंडित उर्फ अमित शुक्ला पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला निवासी गढ़ी पीरखाँ ठाकुरगंज थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से 04 अदद मोबाइल, दो अदद मोटरसाइकिल व एक अदद स्विफ्ट कार बरामद किया गया। मुकदमा उपरोक्त में धारा 419/420/467/468/471/120बी बढ़ोत्तरी की गयी। गठित पुलिस टीमों द्वारा शेष वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है।

अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर प्रकाश में आया कि अभियुक्त अब्दुल हसन उर्फ मुन्ना द्वारा लोगों से सम्पर्क कर बिजली बिल शून्य कराने का प्रलोभन दिया जाता था तत्पश्चात अभियुक्तगण के झांसे में आये बिजली उपभोक्ता से अब्दुल हसन द्वारा बिजली बिल रसीद लेकर अपने साथी पंकज उर्फ गाजी को भेज दिया जाता था। अभियुक्त पंकज उर्फ गाजी द्वारा उक्त बिल रसीद को बिजली विभाग के काउण्टर पर जाकर अंकित धनराशि के साथ फर्जी चेक लगाकर जमा किया जाता था । अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि चेक से बिजली बिल जमा करने पर बैंक द्वारा चेक क्लीयर होने से पहले ही बिजली विभाग द्वारा बिल शून्य वाली रसीद मिल जाती है, इसका फायदा उठाकर ही सब फर्जीवाड़ा किया गया । अभियुक्तगण द्वारा बिजली उपभोक्ता से सम्पर्क कर बिजली बिल शून्य होने पर अलग-अलग खाताधारकों के बैंक खातों में रूपया ट्रांसफर करा लिया जाता था। खाताधारकों द्वारा उक्त धनराशि का 10 प्रतिशत लेकर शेष धनराशि पंकज उर्फ गाजी को दे दी जाती थी। अभियुक्तगण द्वारा अभी तक लगभग 60 बिलों (धनराशि लगभग 30 लाख रुपये) को शून्य करा कर कमीशन के रूप में लगभग 07-08 लाख रुपये अर्जित किया जाना प्रकाश में आया है। इस सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा बिजली विभाग से सम्पर्क कर जानकारी ली जा रही है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-</u>

1. अब्दुल हसन उर्फ मुन्ना पुत्र जौहर निवासी हमिरापुर थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ
2. पंकज उर्फ गाजी उर्फ राकी पुत्र स्व0 अफसर हुसैन निवासी 19 मधेयगंज खदरा थाना हसनगंज जनपद लखनऊ
3. गुफरान उर्फ जुल्फिकार पुत्र शाहिद अली निवासी सिकरोरी थाना काकोरी जनपद लखनऊ
4. रिंकू पंडित उर्फ अमित शुक्ला पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला निवासी गढ़ी पीरखाँ ठाकुरगंज थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ (प्रकाश में आया अभियुक्त)

<u>बरामदगी-</u>

1. 04 अदद मोबाइल
2. दो अदद मोटर साइकिल (पल्सर यूपी 32 जेजे 7530, ग्लैमर यूपी 32 जीटी 2340)
3. एक अदद स्विफ्ट कार यूपी 32 सीई 1979

<u>पुलिस टीम-</u>

<u>साइबर सेल-</u>

1. निरीक्षक श्री विजयवीर सिंह सिरोही प्रभारी साइबर सेल
2. हे0का0 अनुराग उपाध्याय,
3. का0 कुलदीप कुमार यादव,
4. का0 अभिषेक चपराणा, का0 राजन यादव,
5. का0 गुरपीत सिंह, का0 गौरव त्रिपाठी

<u>थाना कोठी-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीत सोनकर
2. निरीक्षक श्री दिनेश कुमार यादव
3. का0 सुभाष चन्द्र, हो0गा0 छंगालाल